उत्तर भारत कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

4 अप्रैल, 1967

(के. सुब्बा राव, सी. जे., एम. हिदायतुल्ला, आर. एस. बचावत, जे. एम. शीलत और सी. ए. वायडलिंगम, जे. जे.)

पंजाब सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम (1959 का 31) की धारा 5 अनुच्छेद 14 संविधान का उल्लघंन करता है।

प्रत्यर्थी-राज्य ने होटल चलाने के लिए अपीलार्थी को अपना परिसर पट्टे पर दिया और पट्टे की अवधि समाप्त होने पर अपीलार्थी से खाली कब्जा सौंपने का आह्वान किया। अपीलार्थी के ऐसा करने में विफल रहने पर, कलेक्टर ने धारा 4 के तहत एक नोटिस जारी किया। पंजाब सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1959 के तहत अपीलार्थी को कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि धारा 5 के तहत बेदखली का आदेश क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें तर्क दिया गया कि अधिनियम ने अनुच्छेद 14 संविधान का

उल्लंघन दो तरीकों से किया है (1) कि यह सार्वजनिक परिसरों के अधिभोगियों और अन्य परिसरों के अधिभोगियों के बीच भेदभाव करता है; और (2) कि यह सार्वजनिक परिसरों के अधिभोगियों के बीच अंतर करता है क्योंकि राज्य अधिनियम के तहत या वाद के माध्यम से किसी अधिभोगकर्ता के खिलाफ मनमाने ढंग से कार्रवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिनियम के तहत कार्यवाही सार्वजनिक परिसरों के गैर-अधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने के लिए विशेष उपाय है, कि सार्वजनिक परिसरों के अधिभोगियों और निजी संपत्तियों के बीच एक वैध वर्गीकरण था, और यह कि चूंकि अधिनियम प्रतिस्थापनात्मक था और पूरक नहीं था, इसलिए सार्वजनिक परिसरों के अधिभोगियों के बीच भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं था।

इस न्यायालय में अपील करते हुए,

(1) उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि अधिनियम निहित रूप से सरकार द्वारा मुकदमे के अधिकार को छीन लेता है। अधिनियम का उद्देश्य केवल सरकार को एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करना था जो बेदखली के सामान्य कानून के तहत मुकदमे के माध्यम से एक से अधिक तेज था। [404 जी; 411 बी] (प्रति सुब्बा राव, सी. जे., शेलत और वैद्यलिंगम, जे. जे.) : विवादित अधिनियम न तो नकारात्मक

शब्दों में है और न ही ऐसे शब्दों में है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य कानून के तहत बेदखल करने के लिए मुकदमा करने के लिए एक मकान मालिक के रूप में सरकार के अधिकार को नकार दिया जाता है। न ही यह कहना संभव है कि सामान्य कानून और अधिनियम के तहत बेदखली से संबंधित प्रावधानों के दो सेटों का सह-अस्तित्व किसी भी असुविधा या बेतुकेपन का कारण बनता है। विवादित अधिनियम सार्वजनिक परिसरों में रहने वालों और किरायेदारों को बेदखल करने के सरकार के अधिकार से संबंधित है, लेकिन यह तथ्य अपने आप में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि विधायिका का इरादा बेदखली का मुकदमा दायर करने के सरकार के अधिकार को छीनने का है। [404 सी-ई](प्रति हिदायतुल्ला और बच्चावत, जे.जे.) अधिनियम बेदखली का कोई नया अधिकार नहीं बनाता है। यह सामान्य कानून के तहत मौजूदा अधिकार के लिए एक अतिरिक्त उपाय बनाता है और बेदखली के मुकदमे का उपाय देने वाले सामान्य कानून को निरस्त नहीं करता है। [411 सी]

(2) पूर्ण न्यायालय द्वारा % कब्जाधारियों के दो वर्गों, अर्थात्, सार्वजनिक संपत्ति और परिसर के कब्जाधारियों और अन्य कब्जाधारियों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। वर्गीकरण का अधिनियम के उद्देश्य से उचित संबंध है और यह अनुच्छेद -14 का उल्लंघन नहीं करता है। कब्जाधारियों के दो वर्ग समान रूप से स्थित नहीं हैं, सार्वजनिक संपत्तियों और परिसरों के मामले

में, जनता के सदस्यों को यह देखने में महत्वपूर्ण रुचि है कि ऐसी संपत्तियां 1967] 3 एस.सी.आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 400 और परिसर को यथाशीघ्र अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराया जाए; और आक्षेपित अधिनियम ने सरकार से संबंधित परिसरों की शीघ्र वसूली के लिए एक विशेष मशीनरी को उचित रूप से तैयार किया है। [406 सी-डी; 412 सी-ई] बाबू राव शांताराम मोरे बनाम बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड और अन्य, [1954] एस.सी.आर. 572, अनुसरण किया गया।

(3) प्रति सुब्बा राव, सी. जे., शेलत और वैद्यलिंगम, जे. जे.) अधिनियम की धारा 5 मुकदमे के माध्यम से उपचार के अलावा एक अतिरिक्त उपचार प्रदान करती है। यह खंड अनुच्छेद -14 का सरकार को दो वैकल्पिक उपाय प्रदान करके उल्लंघन करता है और इसे कलेक्टर के अनिर्देशित विवेक पर छोड़ कर एक या दूसरे का सहारा लेने के लिए और धारा 5 के तहत अधिक कठोर प्रक्रिया को लागू करने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों और परिसरों पर कब्जा करने वालों में से कुछ को चुनने के लिए। [409 एफ-जी] भेदभाव का परिणाम तब होगा जब दो उपलब्ध प्रक्रियाएँ हों- एक अन्य की तुलना में संबंधित पक्ष के लिए अधिक कठोर या प्रतिकूल और जिसे प्राधिकरण की मनमानी इच्छा पर लागू किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सरकारी संपत्तियों और परिसरों पर कब्जा करने वाले निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों के किरायेदारों और कब्जाधारियों के खिलाफ एक

वर्ग बनाते हैं और यह कि इस तरह का वर्गीकरण इस आधार पर उचित है कि उन्हें सार्वजनिक हित में अलग-अलग व्यवहार की आवश्यकता है, जो उस वर्गीकरण के तहत आते हैं, वे आपस में समान व्यवहार के हकदार हैं। [409 बी-डी] (प्रति हिदायतुल्ला और बच्चावत, जे. जे. असहमति जताते हुए): विवादित अधिनियम सरकारी उचित संबंधों पर कब्जा करने वालों के बीच कोई अन्यायपूर्ण भेदभाव नहीं करता है। यह लोक कल्याण को बढ़ावा देता है और कानून बनाने का एक लाभकारी उपाय है। [414 डी-ई]

विवादित अधिनियम अनुचित या दमनकारी नहीं है। अनाधिकृत कब्जाधारी के पास सुनवाई का और कलेक्टर के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर है; वह कमिश्नर के पास अपील करके कलेक्टर के आदेश की समीक्षा प्राप्त कर सकता है और उचित मामलों में उच्च न्यायालय से सर्टिओरीरी रिट मांग सकता है। उसे केवल इसलिए कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार के पास उसके खिलाफ 'मुकदमे के माध्यम से या अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का विकल्प है। किसी अनधिकृत कब्जेदार को यह निर्देश देने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि सरकार के पास कार्यवाही का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। सरकार के मुकदमा दायर करने के विकल्प पर आधारित तर्क अवास्तविक है, क्योंकि व्यवहार में, सरकार उस मामले

में मुकदमा दायर करने की संभावना नहीं रखती है जब वह अधिनियम के तहत राहत मांग सकती है। [414 बी-डी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1101/1965

1960 के सिविल रिट सं. 16 में पंजाब उच्च न्यायालय के 22 जनवरी, 1963 के निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील।

ए. के. सेन और रविंदर नारायण अपीलकर्ताओं की ओर से। गोपाल सिंह और आर.एन.सच थे रेस्पोडेंट की ओर से।

सुब्बा राव, सी.जे., शेलट और वैद्यलिंगम, जे.जे. का निर्णय शेलट, जे द्वारा दिया गया था। हिदायतुल्ला और बचावत जे.जे. की असहमतिपूर्ण राय, बचावत, जे. द्वारा दी गई थी।

शेलट, जे. यह अपील, प्रमाण पत्र द्वारा, पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें पंजाब सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, XXXI की वैधता को चुनौती दी गई थी।

सितंबर, 1953 में या उसके आसपास, पंजाब राज्य ने चंडीगढ़ में "माउंट व्यू होटल" को अपीलार्थियों को 24 सितंबर, 1953 से शुरू होने वाली छह साल की अवधि के लिए 72,000 रूपये वार्षिक किराए पर पट्टे

पर दिया] जिसेs बाद में यह घटकर रु। 50,000 / - किया गया। हालाँकि, उक्त होटल के पट्टे का विलेख तैयार कर दिनांक 21 मई, 1959 को निष्पादित किया गया था। 27 अगस्त, 1959 को या उसके आसपास, सरकार ने उक्त होटल को अपीलार्थियों को 12,00,000 / - रुपये की कीमत पर बेचने की पेशकश की। चूंकि अपीलकर्ताओं ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उसे वापस ले लिया गया था और चूंकि छह साल की उक्त अवधि उस समय तक समाप्त हो चुकी थी, इसलिए सरकार ने अपीलकर्ताओं से 1 जनवरी, 1960 को या उससे पहले खाली कब्जा सौंपने का आह्वान किया। 1 जनवरी, 1960 को एस्टेट अधिकारी और कलेक्टर, कैपिटल प्रोजेक्ट, चंडीगढ़ ने अपीलकर्ताओं को एक नोटिस दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त होटल पर उनका कब्जा 31 दिसंबर, 1959 के बाद अनधिकृत हो गया था और धारा 4 अधिनियम से 11 जनवरी, 1960 को या उससे पहले कारण दिखाएँ कि उनके खिलाफ बेदखली का आदेश क्यों नहीं पारित किया जाना चाहिए। इस बीच, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और एक बेदखली के किसी भी आदेश के खिलाफ अंतरिम रोक प्राप्त कर ली।

अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय (1) में तर्क दिया कि अधिनियम सार्वजनिक परिसरों के अधिभोगियों और निजी संपत्ति के निवासियों के बीच भेदभाव करता है और पूर्व के बीच भी भेदभाव करता है और इसलिए,

कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 14 संविधान के तहत समान संरक्षण के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है।, (2) कि अधिनियम ने उनके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन किया है, (3) कि धारा 5 अधिनियम में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसमें प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया और (4) कि उक्त सूचना अमान्य थी क्योंकि इसमें धारा 4 (2) (ख) अधिनियम के तहत आवश्यक दस स्पष्ट दिन नहीं दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने 2,3 और 4 की दलीलों को नकार दिया। पहले तर्क के संबंध में, यह माना गया कि अधिनियम की प्रस्तावना, उद्देश्य और प्रावधानों से प्रकट होने के कारण, अधिनियम ने मकान मालिक के रूप में बेदखली के सरकार के उपाय को प्रतिस्थापित कर दिया इस अधिनियम के कारण, सरकार केवल अधिनियम के तहत उपचार का सहारा ले सकती है, न कि बेदखली के लिए मुकदमे के माध्यम से और अधिनियम ने सार्वजनिक व संपत्ति व परिसर के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा करने के सरकार के अधिकार को समाप्त कर दिया है। सार्वजनिक परिसरों और निजी संपत्ति के कब्जाधारियों के बीच एक वैध वर्गीकरण था और चूंकि अधिनियम प्रतिस्थापनात्मक था और पूरक नहीं था, इसलिए सार्वजनिक परिसरों के कब्जाधारियों के बीच परस्पर भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं था। हालाँकि, उच्च न्यायालय इस बात पर सहमत हुआ कि यदि अधिनियम एक 'पूरक' उपचार प्रदान करता

है न कि प्रतिस्थापन उपचार उपाय, तो भेदभाव के बारे में तर्क सार्थक होगा। यह अभिनिर्धारित करने के कारण कि अधिनियम ने सार्वजनिक संपत्ति और परिसरों के संबंध में बेदखली के सामान्य कानून को निहित रूप से फिर से हटा दिया था, यह था कि अधिनियम बेदखली से संबंधित कानून की पूरी विषय वस्तु को शामिल करता है, कि दोनों कानूनों का एक साथ अस्तित्व रखने का इरादा नहीं हो सकता था, कि अधिनियम की प्रस्तावना और प्रावधानों ने इस कटौती को स्वीकार किया कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिसरों पर लागू बेदखली के सामान्य कानून को प्रतिस्थापित करना था, कि अधिनियम का उद्देश्य विलंब से युक्त सामान्य कानून के तहत बोझिल प्रक्रिया को त्यागना और एक विशेष और त्वरित उपचार प्रदान करना था और अंत में यह कि हालांकि निरसन के स्पष्ट शब्दों का अभाव यह धारणा पैदा कर सकता है कि पूर्व-विद्यमान कानून को निरस्त नहीं किया गया था कि पूर्व योग की भरपाई उन दो कानूनों की तुलना से की गई थी जो सामान्य कानून को प्रतिस्थापित करने के विधायी इरादे को विकृत करते थे।

अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष गलत था।

इससे पहले कि हम उनकी जांच करने के लिए आगे बढ़ें, यह पढ़ना आवश्यक है इस अधिनियम के दिए गए उद्देश्य और कारण (जैसा कि

उच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत किया गया है) यह थे कि भूमि राजस्व अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम में कृषि भूमि और आवासीय भवनों और स्थलों सहित सरकारी और नज़ुल संपत्तियों पर अनधिकृत अतिक्रमण या कब्जे को संक्षिप्त रूप से हटाने और किराए की पुनर्प्राप्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था, कि सरकार के लिए एकमात्र उपलब्ध प्रक्रिया संबंधित पक्ष पर सिविल अदालत में मुकदमा करना था, जो देरी से जुड़ी एक सह कठोर प्रक्रिया थी और इसलिए सभी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि, चाहे वह कृषि या गैर-कृषि सांस्कृतिक उपयोग के लिए हो, को अतिक्रमण और गैरकानूनी कब्जेs से मुक्त रखने के लिए, एक त्वरित तंत्र प्रदान करना आवश्यक था। अधिनियम की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि यह अधिनियम सार्वजनिक परिसरों से अनधिकृत कब्जे को बेदखल करने और कुछ आनुवांशिक मामलों के लिए पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक परिसर क्षेत्र के अनधिकृत कब्जे में माना जाएगा जहाँ एक पट्टेदार होने के नाते वह अपने पट्टे के निरूपण के कारण, इस तरह के सार्वजनिक परिसर को रखने या रखने का हकदार नहीं रहा है। धारा 4 में प्रावधान है कि यदि कलेक्टर की राय है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक परिसरों पर अनधिकृत कब्जे में है और कि उसे बेदखल किया जाना चाहिए, वह लिखित रूप में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति से कारण बताने के लिए कहा

जाएगा कि बेदखली का आदेश क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए। नोटिस में उन आधारों को निर्दिष्ट किया जाएगा जिनके आधार पर बेदखली का आदेश देने का प्रस्ताव है और ऐसे व्यक्ति को ऐसी तारीख को या उससे पहले कारण दिखाना होगा जो नोटिस जारी करने की तारीख से 10 दिन से पहले की तारीख न हो। धारा 5 में प्रावधान है कि यदि उस व्यक्ति द्वारा दिए गए कारण और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद और उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, कलेक्टर संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जे में हैं तो वह 'निष्कासन का आदेश दे सकता है'। धारा 7 कलेक्टर को बकाया किराया वसूलने और सार्वजनिक परिसरों के संबंध में भू-राजस्व के बकाया के रूप में नुकसान का आंकलन करने और उसकी भरपाई करने की शक्तियां प्रदान करता है। धारा 9 के तहत धारा 5 या 7 में कलेक्टर के आदेश के खिलाफ आयुक्त के समक्ष अपील का प्रावधान है। धारा 10 कलेक्टर या निगम द्वारा दिए गए आदेश को अंतिम रूप देता है और इस तरह के आदेश पर किसी भी दावे, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

हम पहले उच्च न्यायालय के उस निष्कर्ष पर विचार करेंगे जिसमें सामान्य कानून के तहत सरकार के बेदखली के उपाय को निहीत रूप से रद्द कर दिया गया। निर्माण का नियम यह है कि जहां एक क़ानून स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि इसका अधिनियमन ऐसे पहले अधिनियम के

साथ असंगतता के कारण पहले वाले अधिनियम को निरस्त कर देगा, बाद वाले को निरस्त माना जा सकता है। यहां तक कि जहां बाद वाले अधिनियम में ऐसे व्यक्त शब्द शामिल नहीं हैं, यदि दो सेटों का सह-अस्तित्व है प्रावधान उस उद्देश्य के लिए विनाशकारी है जिसके साथ बाद वाला अधिनियम पारित किया गया था, न्यायालय पहले के प्रावधान को निहित रूप से निरस्त मानेगा। एक बाद वाला अधिनियम जो एक नया अधिकार प्रदान करता है, वह पहले के अधिकार को निरस्त कर देगा यदि दो अधिकारों के एक साथ सह-अस्तित्व का तथ्य असुविधा पैदा करता है, ऐसे मामले में, यह अनुमान लगाना वैध है कि विधायिका ने इस तरह के परिणाम का इरादा नहीं किया था। यदि दोनों अधिनियम सामान्य अधिनियम हैं और दोनों में से बाद वाले को नकारात्मक शब्दों में जोड़ा गया है, तो निष्कर्ष यह होगा कि पहले वाले को निहित रूप से निरस्त कर दिया गया था। भले ही बाद वाला क़ानून शर्तों के अनुसार सकारात्मक हो, इसमें अक्सर वह नकारात्मकता शामिल पाई जाती है जो इसे पहले के अधिनियम के लिए घातक बनाती है। इस प्रकार धारा 40 जुर्माना एवं वसूली की आवश्यकताएं अधिनियम, 1833, जो एक विवाहित महिला को विलेख द्वारा भूमि का निपटान करने का अधिकार देती है, जिसे उसने शुल्क के रूप में रखा है, बशर्ते कि उसने ऐसा अपने पति की सहमति से और स्वीकृत विलेख द्वारा किया हो, को निहित रूप से माना गया था]

विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1882 द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसने उसे इसमें अधिकृत किया। सभी वास्तविक संपत्ति का निपटान करने की सामान्य शर्तें जैसे कि वह एक एकल महिला थी । लेकिन निहितार्थ द्वारा निरसन को आम तौर पर न्यायालयों में समर्थन नहीं दिया जाता है। फ़ारवेल, जे. ने री चांस में यह देखा कि "यदि यह संभव है, तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इस अनुभाग को पढ़ूं ताकि पिछले अधिनियम के निहित निरसन पर प्रभाव न पड़े"। क़ानून की व्याख्या पर मैक्सवेल, 11वां संस्करण, पृ. 162 टिप्पणियाँ: "एक पर्याप्त अधिनियम को बिना किसी मजबूत कारण के निहितार्थ द्वारा निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। यह एक उचित धारणा है कि विधायिका का वास्तव में विरोधाभासी अधिनियमों को कानूनी पुस्तक में रखने का इरादा नहीं था या दूसरी ओर ऐसा करने का इरादा व्यक्त किए बिना किसी महत्वपूर्ण कानून को निरस्त करने के रूप में उपाय करें। इसलिए, ऐसी व्याख्या को तब तक नहीं अपनाई जानी चाहिए जब तक कि यह अपरिहार्य न हो। एक उचित निर्माण जो इससे बचने की पेशकश करता है, वास्तविक इरादे के अनुरूप होने की अधिक संभावना है।" निर्माण के नियम का अच्छी तरह से स्थापित नियम यह है कि जब बाद वाले अधिनियम को बिना किसी नकारात्मक के सकारात्मक शब्दों में कहा जाता है तो यह पहले वाले कानून को निरस्त नहीं करता है । द इंडिया में डॉ. लुशिंगटन ने कहा, " क्या शब्द है ", ([1]) (जैसा कि क्रेज़ ऑन स्टेट

ट्यूट लॉ, 6वें संस्करण 371 में उद्धृत किया गया है) "निहितार्थ द्वारा निरसन स्थापित करेगा, यह अधिकार से कहना असंभव है या निर्णय किए गए मामले....मुझे लगता है कि पूर्व क़ानून को निहितार्थ द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा यदि उसके प्रावधान बाद वाले क़ानून के साथ पूरी तरह से असंगत हों; या यदि दोनों क़ानून एक साथ मिलकर पूरी तरह से बेतुके परिणाम देंगे; या यदि संपूर्ण विषय-वस्तु को बाद के क़ानून द्वारा छीन लिया गया हैS। लागू किया गया अधिनियम न तो नकारात्मक शब्दों में है और न ही ऐसे शब्दों में है जिसके परिणामस्वरूप एक मकान मालिक के रूप में सरकार के सामान्य कानून के तहत बेदखली के लिए मुकदमा करने के अधिकार को नकार दिया जाता है। न ही यह कहना संभव है कि बेदखली से संबंधित प्रावधानों के दो सेटों के सह-अस्तित्व से असुविधा या बेतुकापन पैदा होता है जिसके बारे में माना जाएगा कि विधायिका का इरादा नहीं था। विवादित अधिनियम निस्संदेह सरकार के कब्जेदारों को बेदखल करने के अधिकार से और सार्वजनिक परिसर के किरायेदार से संबधित है। इस अर्थ में यह एक विशेष विषय-वस्तु से संबंधित एक अधिनियम है, लेकिन इस तथ्य से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि विधायिका का इरादा बेदखली के लिए मुकदमा दायर करने के सरकार के अधिकार को छीनने का है। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा जिन कारणों और उद्देश्यों पर भरोसा किया गया, उनसे पता चलता है कि विधायिका का

इरादा सरकार को एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करने का था, एक ऐसा उपाय जिसके बारे में उसने सोचा था कि यह बेदखली के सामान्य कानून के तहत एक मुकदमे की तुलना में तेज़ था। हमारे विचार में, अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह निहित रूप से सरकार द्वारा मुकदमे का अधिकार छीन लेता है या इसलिए, यह स्थानापन्न है और पूरक नहीं है। न ही यह कहना संभव है कि दोनों उपचारों के सह -अस्तित्व से ऐसी असुविधा या बेतुकापन पैदा होगा कि न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर हो जाएगा कि अधिनियम के अधिनियमन के परिणामस्वरूप सरकार को न्यायालयों में मुकदमा करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि की थी कि एक निहित निरसन केवल इसलिए था क्योंकि प्रावधानों के दो सेट सार्वजनिक परिसर के संबंध में बेदखली के विषय-वस्तु से संबंधित हैं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय का विचार था कि यदि अधिनियम एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है, तो भेदभाव के बारे में तर्क प्रबल होगा। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की गारंटी और समान संरक्षण का मतलब है कि एक व्यक्ति और दूसरे के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यदि कानून की विषय वस्तु, उनकी स्थिति समान है। हालाँकि, यह सर्वविदित है कि विधायिका के पास विशेष उद्देश्यों

को प्राप्त करने के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति है और उस उद्देश्य के लिए उसके पास व्यक्तियों और चीजों के चयन या वर्गीकरण की शक्ति है जिन पर ऐसे कानून काम करते हैं। हालाँकि, इस तरह के वर्गीकरण में न्यायपूर्ण और उचित संबंध रखने वाले किसी वास्तविक भेद पर आधारित होना चाहिए। एक वैध वर्गीकरण के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दो परीक्षण यह हैं कि यह एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो उन लोगों को अलग करता है जो दूसरों से एक साथ समूहीकृत हैं और इस अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए A जब, एक अधिनियम को भेदभाव के आधार पर चुनौती दी जाती है तोs न्यायालय को पहले विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का पता लगाना चाहिए और फिर दोनों परीक्षणों को लागू करें। यदि परीक्षण संतुष्ट हैं, तो वर्गीकरण को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा।

बाबूराव शांताराम मोरे बनाम। बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड और एक अन्य (1), बॉम्बे किराया अधिनियम, 1947 की धारा 4 जो कुछ सार्वजनिक संपत्तियों को अधिनियम के संचालन से छूट दी गई है, को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह छूट आवास बोर्ड के किरायेदारों और बाकी के बीच की स्थिति निजी संपत्तियों के किरायेदार में भेदभाव का कारण बनीं । इस न्यायालय ने इस धारा को इस आधार पर बरकरार रखा कि इसमें एक

बोधगम्य अंतर था जो अलग करता है बोर्ड के किरायेदारों को अन्य किरायेदारों से और कि भेद का अधिनियम के उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध था।यह देखा गया कि अधिनियम का उद्देश्य आवासीय समस्या का समाधान करना था। आवास जिसे प्राप्त करने के लिए आवास बोर्ड की स्थापना की गई थी। बोर्ड किसी भी लाभ के उद्देश्य से प्रेरित नहीं था और इसलिए, इस उद्देश्य के लिए इसके किरायेदारों को, किराए को अनुचित रूप् से बढ़ाने जैसा कि निजी मकान मालिको द्वारा आवास की कमी का लाभ उठाने के लिए किया जाता है, बेदखल करने की कोई संभावना नहीं थी इस अदालत ने कहा कि किरायेदारों के दो वर्ग इसलिए समान रूप से स्थित नहीं थे और परिस्थितियों के बल पर, एक समान पैर पर नहीं रखा गया था और, इसलिए, कानून के सामने समानता या समान संरक्षण का कोई इनकार नहीं था। एक जटिल और बढ़ते राज्य में एक आधुनिक राज्य समाज अब केवल अपने पारंपरिक गतिविधियों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं रह सकता है। समाज भी विविध और विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस तरह की विविधता वाली गतिविधियाँ चलानी होगी। अपने नागरिकों की आवश्यकताएँ जैसे आवास, भोजन व कपड़े का वितरण और तकनीकी परियोजनाएं, जिनके बारे में कहा जाता है, अकेले राज्य ही कर सकता है। ऐसी गतिविधियों में इसके नागरिकों की महत्वपूर्ण रुचि होती है। अगर एक वर्गीकरण उन लोगों के बीच किया जाता है जो

आवास जैसी गतिविधियों का लाभ उठाते हैं तो यह कहना मुश्किल हो सकत k हैं कि दोनों के बीच कोई समझदारी भरा अंतर नहीं है या कि इस तरह के अंतर और अधिनियम के उद्देश्य के बीच कोई संबंध नहीं है। ऐसे मामलों में, यदि कानून अंतर व्यवहार का प्रावधान करता है, तो यह तर्क देना संभव है कि यह परिस्थितियों, उद्देश्य और ऐसे विधान की नीति को ध्यान में रखते हुए उचित है, हालांकि केवल यह तथ्य कि यह एक सरकारी स्वामित्व वाली गतिविधि है, अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकता है।

विवादित अधिनियम और इसकी प्रस्तावना के उद्देश्य और कारण इंगित करते हैं कि यह अधिनियम सार्वजनिक संपत्तियों और परिसरों से अनाधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने और ऐसी संपत्तियों को अतिक्रमण और गैरकानूनी स्थिति से मुक्त रखने और एक त्वरित मशीनरी प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। यह बेदखली के सामान्य कानून के तहत लंबी कार्यवाही के खिलाफ है, जिसमें देरी शामिल है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम सार्वजनिक संपत्ति और परिसर के कब्जाधारियों को अन्य कब्जाधारियों से अलग करता है। फिर भी, यह कहना संभव है कि कब्जाधारियों के दो वर्गों के बीच एक समझदारी भरा अंतर है, कि वे समान स्थिति में नहीं हैं क्योंकि सार्वजनिक संपत्तियों और परिसरों के मामले में जनता के सदस्यों का महत्वपूर्ण हित है और वे यह देखने में

रुचि रखते हैं कि ऐसी संपत्तियों और परिसरों को यथाशीघ्र अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराया जाए। यह तर्क देना भी संभव है कि इस तरह का वर्गीकरण इस मायने में उचित है कि यह जनता के हित में है कि किराए की त्वरित वसूली और अनधिकृत कब्जेदारों को शीघ्र बेदखल करना विस्तृत प्रक्रिया के बजाय त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से संभव बनाया जाए। मुकदमे में व्यय और विलंब दोनों शामिल हैं। इन विचारों पर, यह तर्क दिया जा सकता है कि सार्वजनिक संपत्तियों और परिसरों के किरायेदारों को निजी संपत्ति के किरायेदारों से अलग करना उचित कारण पर आधारित है और इस तरह के अलगाव का अधिनियम की वस्तु और नीति के साथ तर्कसंगत संबंध है।

यह मानते हुए कि ऐसा वर्गीकरण वैध है, अपीलार्थियों की शिकायत यह है कि धारा 5 अधिनियम सार्वजनिक संपत्तियों और परिसरों पर कब्जा करने वालों के बीच भेदभाव करता है और इस तरह के भेदभाव का कोई वैध आधार नहीं है और न ही अधिनियम के उद्देश्य के साथ कोई उचित संबंध है। धारा 4 के तहत यदि कलेक्टर की राय है कि किसी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक परिसर पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है और उसे बेदखल किया जाना चाहिए, उसे ऐसे व्यक्ति को कारण दिखाने के लिए एक नोटिस जारी करना होगा कि बेदखली का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। धारा 5 के तहत, यदि कलेक्टर संतुष्ट है कि सार्वजनिक परिसर

अनधिकृत कब्जे में हैं तो उसके पास कारण बताते हुए बेदखली का आदेश देने की शक्ति है। तर्क यह है कि इस प्रकार सरकार के पास दो उपाय हैं, एक सामान्य कानून के तहत और दूसरा वर्तमान अधिनियम के तहत एक कठोर और अधिक प्रतिकूल उपाय है। धारा 5 में शब्द " कलेक्टर बेदखली का आदेश दे सकता है" यह दर्शाता है कि यह धारा 4 व 5 के तहत प्रक्रिया को अपनाने के लिए विवेकाधिकार प्रदान करता है या नहीं। धारा 5 ने यह कलेक्टर के विवेक पर छोड़ दिया है कि वह कुछ किरायेदारों के मामले में ऐसा आदेश दे और दूसरों के खिलाफ ऐसा आदेश न दे। धारा 5 के तहत कलेक्टर अपनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ लोगों के साथ भेदभाव करेंगे और दूसरों के खिलाफ मुकदमे के माध्यम से कार्यवाही करेंगे, दोनों उपाय सरकार के लिए एक साथ उपलब्ध हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यदि कलेक्टर धारा 4 व 5 के तहत आगे बढ़ते हैं उसके द्वारा केवल एक राय के लिए कठोर है कि एक व्यक्ति अनधिकृत व्यवसाय में है जो उसे धारा 5 के तहत कारण बताए नोटिस और उसकी संतुष्टि जारी करने के लिए अधिकृत करता है] उसके लिए बेदखली का आदेश पारित करने और फिर धारा 7 के तहत वसूली करने के लिए पर्याप्त है व बकाया और नुकसान में किराया जिसका वह भूमि राजस्व के बकाया के रूप में ऐसे परिसरों के संबंध में आकलन कर सकता है। धारा 5 में कोई मार्गदर्शक सिद्धांत या नीति निर्धारित नहीं की गई है जिसके तहत कलेक्टर

को यह तय करना है कि किन मामलों में उसे एक या दूसरी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और इसलिए, विकल्प पूरी तरह से उसकी मनमानी इच्छा पर छोड़ दिया गया है। क्रमशः, धारा 5 के द्वारा इस तरह के दिशाहीन और पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करने से अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत समानता के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होता है।

यह सर्वविदित है कि यदि कोई कानून समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच विभेदक व्यवहार का प्रावधान करता है, तो यह अनुच्छेद 14 के समानता प्रावधान का उल्लंघन करता है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर में एस। 5 डब्ल्यू.बी. विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950 को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बताकर चुनौती दी गई। बहुमत के फैसले में माना गया कि विशेष न्यायालयों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया आम तौर पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया से काफी भिन्न होती है और यह अधिनियम वर्गीकृत नहीं करता है या वर्गीकरण के लिए कोई आधार निर्धारित नहीं करता है कि किन मामलों मेंsa विशेष अदालतों द्वारा मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए, लेकिन इसे राज्य सरकार के अनियंत्रित विवेक पर छोड़ दिया जाए कि वह जिन मामलों को विशेष अदालतों में चलाना चाहती है, उन्हें निर्देशित करे। धारा 5(1) राज्य को किसी भी मामले या मामलों के वर्ग को विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई के

लिए निर्देशित करने के लिए अप्रतिबंधित विवेकाधिकार प्रदान करता है, न कि उन मामलों को संदर्भित करने का विवेकाधिकार जहां उसकी राय है कि त्वरित सुनवाई आवश्यक है। बहुमत का मानना था कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का नियम अनुच्छेद 14 के दायरे में आता है। मूल कानून के नियमों के रूप में और यह आवश्यक था कि सभी मुकदमेबाज, जो समान स्थिति में हैं, समान सुरक्षा के साथ और बिना किसी भेदभाव के राहत और बचाव के लिए समान प्रक्रियात्मक अधिकारों का लाभ उठाने में सक्षम हों। यदि यह स्थापित हो जाता है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति] अन्य लोगों के साथ समान पद पर आसीन होने के बावजूद कानून में परिणामस्वरूप भेदभाव किया गया है और उसे समान पुरस्कार से वंचित किया गया है ऐसा कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए पर्याप्त होगा। सूरज मॉल मोहता बनाम ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री में, कराधान और आय (जांच आयोग) अधिनियम, 1947 की धारा 5(4) को चुनौती दी गई थी। तर्क यह था कि धारा 5(4) ने आयोग को अपनी इच्छानुसार आयकर चोरों को चुनने की मनमानी शक्ति दी और इसलिए, उप-धारा चरित्र में अत्यधिक भेदभावपूर्ण थी। इस न्यायालय ने माना कि उप धारा (4) धारा 5 उसी वर्ग के व्यक्तियों से निपटता है जो धारा 34 आयकर अधिनियम 1922 के दायरे में आते हैं कि दोनों धारा, आयकर अधिनियम की धारा 34 और धारा. 5(4) का जांच अधिनियम उन व्यक्तियों से निपटता है जिनके

चरित्र समान थे और समान गुण, सामान्य विशेषताएं हैं वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में अपनी आय का खुलासा नहीं किया था और आय पर कर के भुगतान से बच गए थे, वह जांच अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया आयकर अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया से तुलना में कठोर व अधिक प्रतिकूल थी, इसलिए धारा 5(4) जहाँ इसका प्रभाव पड़ा, व्यक्तियों के विरुद्ध इस उपधारा के अंतर्गत कार्यवाही की गई थी, वह कानून भेदभावपूर्ण था । ऐसा प्रतीत होता है उस निर्णय के बाद, संसद ने संशोधन किया। आयकर की धारा 34 अधिनियम उन्हीं व्यक्तियों के मामलों के लिए प्रावधान करता है जो मूल रूप से के दायरे में आ गए। जांच अधिनियम की धारा 5(1) का निपटारा किया जाएगा जो संशोधित धारा 34 के तहत और इन की प्रक्रिया के तहत आय-कर अधिनियम. संशोधन के परिणामस्वरूप दोनों श्रेणियाँ व्यक्ति, अर्थात, जो धारा 5(1) के दायरे में आते हैं। जो भी लोग इस के दायरे में आते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 34 में एक वर्ग बन गए , यह संशोधन का प्रभाव है, यह श्री मीनाक्षी मिल्स लि., मदुरै बनाम ए. वी. विस में आग्रह किया गया था वनथ शास्त्री यह मानते हुए कि जांच अधिनियम की धारा 5(1). एक तर्कसंगत वर्गीकरण पर आधारित था जो कि वर्गीकरण धारा 34 के संशोधन का कारण वर्गीकरण के रूप में, शून्य हो जाते हैं जिसने इसे अनुच्छेद 14 की रिष्ठी से बचाया अप्रभावी हो गया था, इसकी विशिष्ट विशेषताएँ लुप्त हो गई हैं, और वह 5(1) में परिभाषित

वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोगों का वही वर्ग था, जो संशोधित धारा 34 में बताया गया है। न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और माना कि यह धारा 34 में संशोधन के परिणामस्परूप धारा 5(1) के समान क्षेत्र पर संचालित होता है। जांच अधिनियम, यह मानते हुए कि उत्तरार्द्ध पर आधारित था एक तर्कसंगत वर्गीकरण, और इसलिए यह शून्य हो गया और चरित्र में भेदभावपूर्ण होने के कारण अप्रवर्तनीय। इसी प्रकार, बनारसी दास बनाम गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश(*), नियम 23 यू.पी. चीनी फैक्ट्री नियम, 1938 पर महाभियोग लगाया गया आधार यह है कि इसने दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ प्रदान कीं, जिसमें से एक किसी बेंत आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। रघुवर दयाल, असहमतिपूर्ण राय देने वाले का विचार था कि नियम भेदभावपूर्ण है और इसलिए इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए। ´हिदायतुल्ला, जे. जिन्होंने बहुमत की ओर से बात की, सहमत हुए उसके साथ सिद्धांत पर कि यदि "यह कहा जा सकता है कि नियम फ्रैम के रूप में है बेंत आयुक्त को एक पक्ष के बीच दूसरे से भेदभाव करने की अनुमति देता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होना चाहिए । वह, कैसे कभी भी, नियम का अर्थ यह लगाया गया कि पक्षकार आयुक्त के निर्णय के लिए विवाद को छोड़ने के बजाय उसकी अनुमति से मध्यस्थता में जा सकते हैं। इस निर्माण पर, उन्होंने वह धारण किया जहां दो प्रक्रियाएं हैं, एक प्रत्येक के लिए और दूसरी, यदि विवादकर्ता स्वेच्छा से

इसका पालन करने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि भेदभाव केवल तभी पाया जा सकता है जब चुनाव किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो जो पारंपरिक रूप से अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकता है। इन निर्णयों से जो सिद्धांत उभरता है वह यह है कि भेदभाव तब होगा जब दो उपलब्ध प्रक्रियाएं हों, एक दूसरे की तुलना में संबंधित पक्ष के लिए अधिक कठोर या प्रतिकूल हो और जिसे प्राधिकरण की मनमानी इच्छा पर लागू किया जा सके।

यह मानते हुए कि सरकार के व्यवसाय में व्यक्ति उचित हैं निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों के किरायेदारों और कब्जाधारियों के खिलाफ संबंध और परिसर अपने आप में एक वर्ग बनाते हैं और यह कि इस तरह का वर्गीकरण इस आधार पर उचित है कि उन्हें सार्वजनिक हित में एक अलग व्यवहार की आवश्यकता है, जो उस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं आपस में समान व्यवहार का अधिकार। यदि देश का सामान्य कानून और विशेष कानून दो अलग-अलग प्रावधान करते हैं और स्थानीय प्रक्रियाएं, एक दूसरी की तुलना में अधिक पूर्वाग्रहपूर्ण, भेदभाव का परिणाम होना चाहिए यदि यह प्राधिकरण की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है कि वह कुछ के खिलाफ अधिक पूर्वाग्रह का प्रयोग करे और बाकी के खिलाफ नहीं। धारा 5 के तहत एक व्यक्ति जिसके खिलाफ अधिक कठोर प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है शिकायत करने के लिए बाध्य है कि कठोर प्रक्रिया का प्रयोग क्यों

किया जाता है सिविल प्रक्रिया कोड के तहत एक से अधिक कठोर और पूर्वाग्रहपूर्ण जहाँ वादी एक साधारण व्यक्ति द्वारा मुकदमे का लाभ प्राप्त कर सकता है] के अधिकार के साथ देश के सामान्य कानून से निपटने वाला न्यायालय अपील, पुनरीक्षण, आदि, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। धारा 5 के तहत उनके मामले के रूप में अधिनियम का निपटान एक निष्पादक द्वारा किया जाएगा सरकार का वह अधिकारी, जिसका निर्णय केवल उसके निर्णय पर निर्भर करता है। संतुष्टि, एक अपील के लिए कोई संदेह नहीं है लेकिन एक अन्य निष्पादक के समक्ष विशेष अधिकारी, अर्थात आयुक्त। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि धारा 5 के उपचार के अतिरिक्त एक अतिरिक्त उपचार प्रदान करता है सूट का तरीका और वह दो वैकल्पिक उपचार प्रदान करके सरकार और इसे दिशाहीन विवेक पर छोड़ने में भेदभाव के आरोप के लिए खुद को खुला छोड़ दिया है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने के रूप में इस दृष्टिकोण से धारा 5 शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका है लागतों के साथ पूर्ण।

बचावत, जे. सार्वजनिक परिसर का एक अनधिकृत अधिभोगकर्ता सारांश प्रक्रिया पंजाब सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया

वसूली) अधिनियम, 1959 (1959 का पंजाब अधिनियम सं. 31) के तहत निष्कासन से प्रतिरक्षा का दावा करता है इस आधार पर कि अधिनियम अनुच्छेद 14 का अपमान करता है। पंजाब राज्य द्वारा अपीलार्थी को माउंट व्यू, चंडीगढ़ के रूप में जाना जाने वाला परिसर पट्टे पर 12-10-59 तक दिया गया जिसके बाद पट्टे को बढ़ाया नहीं गया था। 1 जनवरी, 1960 को कलेक्टर ने धारा 4 के तहत एक नोटिस जारी किया। अधिनियम के तहत अपीलार्थी को 11 जनवरी, 1960 को या उससे पहले कारण बताने के लिए कहा गया है कि उसके खिलाफ परिसर से बेदखली का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। 7 जनवरी, 1960 को अपीलार्थी ने अधिनियम के अधिकारों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। तब से इसने कानून की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए सफलता हासिल की है और स्थगन आदेशों और निषेधाज्ञाओं के आधार पर कब्जे में बना हुआ है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। यह अपील उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर दायर की गई है।

विवादित अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में अनधिकृत रूप से रहने वालों को एक शीर्षक सूट की बोझिल प्रक्रिया का सहारा लिए बिना बेदखल करने के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया प्रदान करना है 'सार्वजनिक परिसर' से कोई भी परिसर अभिप्रेत है जो राज्य सरकार से संबंधित है, या पट्टे पर लिया गया है या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से अधिग्रहित

किया गया है, या पंजाब अनिवार्यता और अचल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1953 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा फिर से अधिग्रहित किया गया है, और इसमें किसी भी जिला बोर्ड, नगरपालिका समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति या पंचायत से संबंधित कोई भी परिसर शामिल है। [धारा 2 (घ)]। किसी भी सार्वजनिक भूखंड के अनधिकृत कब्जे में माने जाने वाले व्यक्ति में वह जगह भी शामिल है जहां वह, एक आबंटित, पट्टेदार या अनुदान प्राप्तकर्ता होने के नाते, अपने आवंटन के निर्धारण या रद्द होने के कारण, पट्टा रखता है या इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में, इस अधिनियम की शर्तों के अनुसार, ऐसे सार्वजनिक परिसरों पर कब्जा करने या रखने का हकदार होने के लिए अनुदान प्रदान करें [धारा 3 (ख)]। यदि कलेक्टर की राय है कि किसी व्यक्ति का किसी भी सार्वजनिक परिसर पर अनाधिकृत कब्जा उसके क्षेत्राधिकार के अन्दर है और यह कि उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए, वह लिखित रूप में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें सभी संबंधित व्यक्तियों से कारण दिखाने के लिए कहा जाएगा कि बेदखली का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए (धारा 4)। यदि संबंधित व्यक्ति की आपत्ति, यदि कोई हो, पर विचार करने और उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, कलेक्टर संतुष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जे में हैं, तो वह उसमें दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए बेदखली का आदेश दे सकता है। (धारा 5)। धारा 6

अनधिकृत अधिभोगियों द्वारा सार्वजनिक परिसरों में छोड़ी गई संपत्ति के निपटान का प्रावधान करती है। धारा 7 कलेक्टर को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में सार्वजनिक परिसरों के संबंध में किराया या नुकसान की वसूली करने की शक्ति देती है। अधिनियम के तहत कोई भी जांच करने के उद्देश्य से, कलेक्टर के पास गवाहों को बुलाने की शक्ति है और दीवानी अदालत में निहित कुछ अन्य शक्तियां हैं जो किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय होती हैं। धारा 8 के तहत कलेक्टर के प्रत्येक आदेश के खिलाफ आयुक्त को धारा 5 व 7 के तहत एक अपील होती है। धारा 9 अधिनियम में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, कलेक्टर या आयुक्त द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होता है और किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाहियों में प्रश्न में नहीं किया जा सकता है। ¼ धारा 10)। धारा 11 सद्भावना से अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई का संरक्षण करती है। धारा 12 नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। संक्षेप में यह अधिनियम की योजना है। यह प्रावधान सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1958 के समान है सिवाय, इसके कि केंद्रीय अधिनियम के तहत संपत्ति अधिकारी के आदेश से अपील जिला न्यायाधीश के पास होती है।

उच्च न्यायालय ने पाया कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 व 19 (1) (च) का उल्लंघन नहीं करता है। अपीलार्थी ने अब अनुच्छेद 19

(1) (च) पर आधारित हमले को छोड़ दिया है। । एक अनधिकृत निवासी होने के नाते, परिसर में संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने पुनः अनुच्छेद 14 के आधार पर हमला किया। इस आधार पर कि अधिनियम के तहत कार्यवाही सार्वजनिक परिसरों के गैर-अधिकृत निवासियों को बेदखल करने का एकमात्र उपाय है। इस तर्क से हम सहमत नहीं हो सकते। यह अधिनियम बेदखली का नया अधिकार नहीं बनाता है। यह सामान्य कानून के तहत मौजूद अधिकार के लिए एक अतिरिक्त उपाय बनाता है। यह किसी मुकदमे का उपचार देने वाले कानून को निरस्त नहीं करता है या बेदखली के लिए मुकदमे की सुनवाई करने के लिए दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं करता है। सरकार को अधिभोगियों के खिलाफ या तो अधिनियम के तहत या मुकदमे के माध्यम से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है।

अपीलार्थी के लिए तर्क यह है कि अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन दो तरीकों से करता है पहला, कि यह सार्वजनिक परिसरों और अन्य परिसरों के अनधिकृत आकस्मिक परिधानों के बीच भेदभाव करता है और सार्वजनिक परिसरों के वर्गीकरण का अधिनियम के उद्देश्य से कोई उचित संबंध नहीं है। दूसरा, कि यह रहने वालों के बीच भेदभाव करता है सार्वजनिक परिसरों के साथ-साथ राज्य या तो अधिनियम के तहत या

अपनी इच्छानुसार मुकदमे के माध्यम से अधिभोगकर्ता के खिलाफ मनमाने ढंग से कार्रवाई कर सकता है। तर्क को अस्वीकार किया जाना चाहिए ।

अनुच्छेद 14 की संवैधानिक गारंटी के अनुसार किसी के साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव नहीं होना चाहिए व सभी व्यक्ति के साथ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए। यह अनुच्छेद कानूनों की एक समृद्ध विविधता को कायम रखता है एवं कानून की समृद्ध विविधता और तर्कपूर्ण वर्गीकरण और भिन्नता की अनुमति देता है। अनुच्छेद 14 प्रक्रियात्मक कानूनों तक फैला हुआ है, लेकिन विधायिका मुकदमेबाजी के एक वर्ग के लिए एक या अधिक प्रकार की प्रक्रिया अपना सकती है और जब तक वर्गीकरण तर्कसंगतता के परीक्षण को संतुष्ट करता है इस प्रकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किए बिना कानून अवांछनीय व्यक्तियों का बहिष्करण के लिए गवाहों की जिरह पर रोक लगा सकता है।

अनुच्छेद 14 सरकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार की अनुमति मूल कानून और प्रक्रिया दोनों के मामल में देता है। विधायिका उचित रूप से मुकदमों के लिए सीमा की एक लंबी अवधि प्रदान कर सकता है। सरकार को भुगतान के दावे में प्राथमिकता का अधिकार देता है ।

यह हमारे पिछले निर्णयों से तय होता है कि राजस्व वसूली अधिनियम और अन्य अधिनियम विशेष न्यायाधिकरण और प्रक्रिया का

निर्माण करते हैं राजस्व और राज्य के बकाया की शीघ्र वसूली जनहित में है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। यदि राजस्व की त्वरित वसूली सार्वजनिक हित में है, तो राज्य की संपत्ति की त्वरित वसूली, जिससे राजस्व प्राप्त होता है, सार्वजनिक हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। विवादित अधिनियम ने सरकार से संबंधित परिसरों की शीघ्र वसूली के लिए एक विशेष तंत्र तैयार किया है।

सार्वजनिक परिसरों के जिस वर्ग को विवादित अधिनियम का लाभ मिलता है, उसमें जिला बोर्ड, नगरपालिका समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति और पंचायत से संबंधित परिसर शामिल हैं। वर्गीकरण का अधिनियम के उद्देश्य से उचित संबंध है और यह अनुच्छेद 14 को आहत नहीं करता है। हमने अन्य अधिनियमों के उद्देश्य के लिए समान वर्गीकरण को बरकरार रखा है

सरकार के पास सार्वजनिक परिसरों में अनधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ या तो अधिनियम के तहत या दीवानी मुकदमे द्वारा कार्रवाई करने का विकल्प है। इस सवाल पर कि क्या इस तरह का विकल्प अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, राजस्व वसूली अधिनियमों की वैधता को बनाए रखने वाले हमारे निर्णय निर्णायक हैं। राजस्व वसूली अधिनियम कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करते हैं क्योंकि

सरकार के पास उन अधिनियमों के तहत मुकदमे या प्रोसीडिंग द्वारा अपने राजस्व की वसूली करने का स्वतंत्र विकल्प है।

हमने कठोर, दमनकारी और अन्यायपूर्ण कानूनों को निरस्त कर दिया है जो सरकार को निर्धारिति को आय काराधान (जांच आयोग) अधिनियम 1947 के अधीन जिज्ञासु प्रक्रिया या विशेष न्यायालय के समक्ष सामान्य न्यायालय के बजाय संक्षिप्त विचारण का निर्देश देने की मनमानी शक्ति देते हैं । इसलिए क्योंकि वे कानून कठोर, निरंकुश और अत्याचारी थे जिन्हें निरस्त कर दिया गया था। यह उल्लेखनीय है कि सूरज मॉल मोहता एंड कंपनी वी. ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री और एक अन्य (8) ने कहा कि यदि इस मामले की समीक्षा करने का कोई प्रावधान है। इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने इन्वेस्टिगेटर और जज दोनों के रूप में कार्य करते हुए, आय कराधान (इन्वेस्टिगेशन कॉम मिशन) अधिनियम 1947 को बनाए रखा होगा। यहां तक कि एक अधिनियम जो कार्यपालिका को एक विशेष आपराधिक अदालत द्वारा मुकदमे के लिए एक मामले को भेजने का विकल्प देता है, आवश्यक रूप से कला का उल्लंघन नहीं है। हमने एक ऐसे अधिनियम को बरकरार रखा है जो एक अपराध की सुनवाई करने वाले प्रशासनिक न्यायाधिकरण को मामले को मुकदमे के लिए अदालत में भेजने का अधिकार देता है, यदि मामला अधिक गंभीर सजा का हकदार है।

अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किए बिना, कानून एक वादी को उसकी शिकायतों के निवारण के लिए उपचार, कार्यवाहियों और न्यायाधिकरणों का चयन स्वतंत्र रूप से अनुमति दे सकता है। वादी के पास विशिष्ट राहत या क्षति का दावा करने का विकल्प हो सकता है। डोमिनस लिटिस के रूप में, उसके पास मुकदमा करने का विकल्प है समवर्ती अधिकारिता वाले कई न्यायालयों में से एक में, और प्रतिवादी इस बात पर जोर नहीं दे सकता है कि उस पर उस स्थान पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए जहाँ वह मुकदमेबाजी को अधिक आसानी से जारी रखा जा सकता है। वादी मूल और अपीलीय मंचों का चयन स्वयं के आधार पर कर सकता है। एक परक्राम्य लिखत पर एक सूट के लिए, वह साधारण प्रक्रिया को चुनने के बजाय, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXVII की प्रक्रिया के तहत सारांश की प्रक्रिया को अपना सकता है और जब तक बचाव करने की अनुमति नहीं मिल जाती, तब बचाव को पूरी तरह से बंद कर दें। मकान मालिक प्रेसीडेंसी लघु कारण न्यायालय अधिनियम के अध्याय VII के तहत किसी किरायेदार को मुक़दमे या संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखल कर सकता है ।एक पीड़ित पक्ष कई प्रकारों में से -मुकदमे द्वारा या अदालत में आवेदन द्वारा एक चुनने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। वह एक मुकदमे के द्वारा या कंपनी के मामलों को लेकर अदालत में आवेदन करके या शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से कंपनी के इनकार के खिलाफ एक

प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अपील करके शेयर रजिस्टर में सुधार प्राप्त कर सकता है।

प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष मुकदमा या कार्यवाही दायर करने के बजाय, एक पक्ष सरकार के विरूद्ध अपने विकल्प पर त्वरित और प्रभावी राहत रिट के आवेदन के द्वारा प्राप्त कर सकता है और कार्यवाही के इस तरीके को अपनाने से सरकार मुक़दमों और अन्य मामलों में इसके लिए उपलब्ध प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से वंछित हो सकती है। इसी तरह, कानून सरकार को अपने राजस्व और संपत्तियों की वसूली का एक विकल्प मुकदमे द्वारा या एक प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही दे सकता है।

कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि यह एक पीड़ित पक्षकार को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उपचार और कार्यवाहियों का स्वतंत्र विकल्प देता है। में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नियोक्ताओं को समान लाभ से वंचित नहीं किया गया था क्योंकि अलग-अलग कानून ने एक कर्मचारी को उसके रोजगार केs दौरान घायल होने पर उनके निवारण के तीन रास्ते खोले थे। अलग-अलग कानून, जिनमें से प्रत्येक का वह अपनी पसंद से पालन कर सकता है। जैसा कि जे. पिटनी ने कहा, "उपचार का चुनाव एक ऐसा विकल्प है जो कानून द्वारा कार्रवाई

के हकदार व्यक्ति को बहुत बार दिया जाता है-एक विकल्प जिसका निश्चित रूप से अपने लाभ के लिए उपयोग किया जाता है।

यह दिखावा नहीं किया जाता है कि विवादित अधिनियम के तहत कार्यवाही अनुचित या दमनकारी है। अनाधिकृत कब्जाधारक के पास कलेक्टर के समक्ष अपनी बात सुनने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर होता है। वह आयुक्त से अपील करके कलेक्टर के आदेश की समीक्षा प्राप्त कर सकता है। उचित मामलों में वह उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र का अनुरोध कर सकता है। उसे कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाता है क्योंकि सरकार के पास उसके खिलाफ मुकदमा या अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का विकल्प होता है। एक अनधिकृत कब्जाधारक को यह कहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि सरकार के पास कार्यवाही का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। मुकदमा दायर करने के सरकार के विकल्प पर आधारित तर्क अवास्तविक है, क्योंकि व्यवहार में सरकार के उस मामले में मुकदमा दायर करने की संभावना नहीं है जहां वह अधिनियम के तहत राहत ले सकती है।

अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता के दोष के लिए कट्टर दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है। यह शिकायतों के निवारण के लिए स्वतंत्र विकल्प की अनुमति देता है। विवादित अधिनियम कोई अन्यायपूर्ण भेदभाव नहीं करता है। यह लोक कल्याण को बढ़ावा देता है और कानून

का एक लाभकारी उपाय है। यदि हम अधिनियम को निरस्त कर देते हैं, तो हम अनधिकृत कब्जाधारियों और सार्वजनिक परिसरों में बैठने वाले अधिकारियों को अनिश्चित काल तक कब्जे में बने रहने के लिए एक मुफ्त विशेषाधिकार देंगे, जब तक उन्हें स्वामित्व की विलंबित प्रक्रिया द्वारा बेदखल नहीं किया जाता है।

न्यायालय ने दो प्रक्रियाओं को निर्धारित करने वाला एक कानून निर्धारित किया-प्रत्येक के लिए एक और अन्य यदि विवादकर्ता इसका पालन करने के लिए सहमत हैं। न्यायालय ने यह नहीं कहा कि कोई कानून पीड़ित पक्ष को प्रक्रिया के विकल्प की अनुमति नहीं दे सकता है।

हम तदनुसार लागत के साथ अपील को खारिज कर देंगे।

आदेश

बहुमत की राय के अनुसार, अपील की अनुमति है। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है और अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को लागत के साथ पूर्ण किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विजय कुमार बाकोलिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विजय कुमार बाकोलिया आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।